पत्रांक–03/ना0सु0–22–38/2025 न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।
* द्वारा आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक–

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 में निर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या–527 दिनांक–24.03.2026 अंतर्गत व्यय की स्वीकृति को रद्द करने के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय राज्यादेश संख्या–527 दिनांक–24.03.2026 द्वारा पाटलिपुत्र बस टर्मिनल (ISBT) सोसाईटी के कार्यों के संचालन हेतु आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत सुरक्षा गार्ड एवं अन्य मानवबल की सेवाओं के भुगतान एवं आवश्यक कार्यों हेतु बुडको को राशि ₹400.00 लाख (चार करोड़ रू0) मात्र आवंटित किया गया था। उक्त राशि की निकासी कतिपय कारणों से कोषागार से नहीं हो पाई।

2 अतः विभागीय राज्यादेश संख्या–527 दिनांक–24.03.2026 द्वारा आवंटित राशि के व्यय की स्वीकृति को रद्द किया जाता है।

3 प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–03/ना0सु0–22–38/2025 4881 /न०वि० एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–30/4/26

प्रतिलिपिः संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बुडको/जिला पदाधिकारी, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/योजना एवं विकास विभाग/ वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/उप सचिव–सह–व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02, एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग / विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।